महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–57 / 9–9–2016–170ज. / 06टी.सी.

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 02 मार्च ~~फरवरी~~, 2016

विषय– भारत सरकार द्वारा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के आलोक में योजना / नियमावली प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–57 / नौ–9–16–170ज / 06टी.सी. दिनांक 05.02.16 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7, सन् 2014) की धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों के संरक्षण और पथ विक्रय की गति विधियों और इससे सम्बद्ध या अनुषांगिक मामलो के विनियमन के दृष्टिगत उ0प्र0 पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) नियमावली 2016 का प्रख्यापन किया जाना है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के उक्त अधिनियम 2014 के अन्तर्गत समस्त नागर निकायों में वेन्डिंग जोन, नान वेन्डिंग जोन चिन्हित करने, पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कराने तथा उनका परिचय पत्र निर्गत करने के निर्देश शासन स्तर से समय समय पर दिये गये है। पथ विक्रेताओं के लिए चिन्हित वेन्डिंग जोन एवं नान वेन्डिंग जोन की सूची उपलब्ध कराने तथा उक्त वेन्डिंग जोन में पथ विक्रेताओं को स्थानांतरित किये जाने पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने व चिन्हित स्थानों पर पथ विक्रेता जाने को तैयार है, के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना अभी तक अप्राप्त है। अतः प्रकरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए वांछित सूचना शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकृति का है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

go-v